न्यायमूर्ति विकास बहल के समक्ष

मीना डावर और अन्य- *याचिकाकर्ता*

बनाम

आम जनता - प्रतिवादीगण

2021 का सी.आर. नंबर 920

08 जुलाई, 2021

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - पुनः निरीक्षण याचिका - ओ.आई. अनुच्छेद 10 (2) - हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 - धारा 8 - संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890 - अनुच्छेद 29 और 31 - नाबालिगों के प्राकृतिक माता-पिता/दादा-दादी को दोषी ठहराना - डोमिनस लिटस - नाना-नानी और मामा द्वारा नाबालिगों की संपति बेचने की अनुमति मांगने के लिए आवेदन - केवल आम जनता को प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया - ट्रायल कोर्ट ने नाबालिगों के प्राकृतिक पिता और दादा-दादी को दोषी ठहराने का आदेश दिया - क्या प्राकृतिक पिता और दादा-दादी आवश्यक पक्ष हैं - माना जाता है, चूंकि मामला आम जनता के खिलाफ दायर किया गया है, इसलिए जनता में से कोई भी आकर मामले का विरोध कर सकता है - डोमिनस लिटस का सिद्धांत लागू नहीं होता है - इसके अलावा, ओ.आई.आर.10 (2) के तहत अदालत के पास किसी भी पक्ष द्वारा किए गए किसी भी आवेदन के बिना किसी भी पक्ष को जोड़ने की शक्ति है, यदि यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि मामले पर निर्णय लेने के लिए पक्षकार आवश्यक हैं - आगे कहा गया, इस न्यायालय को लगता है कि नाबालिगों के पिता और दादा-दादी 1956 के अधिनियम की धारा 8 के तहत याचिका के उचित निर्णय के लिए आवश्यक पक्ष हैं - उनके शामिल होने के कारण एक से अधिक हैं - न्यायालय के लिए नाबालिगों के प्राकृतिक

पिता और दादा-दादी का पक्ष जानना बहुत आवश्यक है - 1890 अधिनियम की धारा 29 और 31 ट्रायल कोर्ट की पक्षकार बनने की शक्ति को दूर-दूर तक कम नहीं करती है। एस.8 के तहत आवेदन के न्यायसंगत निर्णय के लिए आवश्यक पक्ष। अधिनियम की धारा 31 (4) में यह अपेक्षा की गई है कि अभिभावक को धारा 29 के तहत उल्लिखित कृत्यों को करने की अनुमति देने से पहले, न्यायालय वार्ड के किसी भी रिश्तेदार या मित्र को अनुमति देने की मांग करने वाले आवेदन का नोटिस जारी कर सकता है, जिसे उसकी राय में नोटिस प्राप्त करना चाहिए, और उक्त आवेदन के विरोध में दिखाई देने वाले किसी भी व्यक्ति का बयान सुनना और रिकॉर्ड करना चाहिए - अदालत को पूरा अधिकार है, बल्कि सभी संबंधित पक्षों को सुनना उनका कर्तव्य है ताकि 1956 के अधिनियम की धारा 8 के तहत आवेदन के निर्णय के लिए प्रासंगिक सभी तथ्यों को जान सकें ।

निर्धारित किया गया कि, आवेदन (अनुलग्नक पी -3) के साथ-साथ आक्षेपित आदेशों के अवलोकन से पता चलेगा कि वर्तमान मामला आम जनता के खिलाफ दायर किया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि ऐसे मामले में, आम जनता में से कोई भी व्यक्ति सामने आ सकता है और बचाव कर सकता है और याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन का विरोध कर सकता है।

'*डोमिनस लिटस*' का सिद्धांत वहां लागू नहीं होता है जहां प्रतिवादीगण को आम जनता कहा जाता है। इसके अलावा, पारित आक्षेपित आदेश सी.पी.सी.के आदेश 1 नियम 10 (2) के प्रावधानों के अनुसार हैं। आदेश 1 सी.पी.सी.के नियम सी.पी.सी.के आदेश 1 नियम 10 (2) -

> **"सी.पी.सी.के आदेश 1 नियम 10 (2) -**
>
> **आदेश 1 नियम 10 (2)। अदालत पार्टियों को बाहर कर सकती है या जोड़ सकती है।**

- न्यायालय कार्यवाही के किसी भी चरण में, या तो किसी भी पक्ष के आवेदन पर या उसके बिना, और ऐसी शर्तों पर जो न्यायालय को उचित प्रतीत हो, आदेश दे सकता है कि अनुचित रूप से शामिल किए गए किसी भी पक्ष का नाम, चाहे वादी या प्रतिवादी के रूप में, हटा दिया जाए, और किसी भी व्यक्ति का नाम जिसे शामिल किया जाना चाहिए था, चाहे वादी या प्रतिवादी, या अदालत के समक्ष जिनकी उपस्थिति आवश्यक हो सकती है ताकि अदालत को प्रभावी रूप से और पूरी तरह से मुकदमे में शामिल सभी सवालों पर निर्णय लेने और निपटाने में सक्षम बनाया जा सके।

(पैरा 9)

आगे निर्धारित किया गया कि, उक्त प्रावधान के अवलोकन से पता चलेगा कि अदालत कार्यवाही के किसी भी चरण में, यहां तक कि किसी भी पक्ष के आवेदन के बिना आदेश दे सकती है कि किसी भी पक्ष का नाम जिसे वादी या प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जाना चाहिए था या जोड़ा जाए, जिसकी अदालत के समक्ष उपस्थिति आवश्यक हो सकती है ताकि अदालत को मुकदमे में शामिल सभी सवालों पर प्रभावी और पूरी तरह से निर्णय लेने और निपटाने में सक्षम बनाया जा सके। इस प्रकार, न्यायालय के पास उक्त पक्षों में से किसी से भी किए गए किसी भी आवेदन के बिना किसी भी पक्ष को जोड़ने की शक्ति है, यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जोड़े जाने वाले पक्ष मामले पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक हैं।

(पैरा 10)

इसके अलावा, इस न्यायालय को लगता है कि नाबालिगों के पिता और दादा-दादी 1956 के अधिनियम की धारा 8 के तहत याचिका के उचित निर्णय के लिए आवश्यक पक्ष हैं, जहां उस संपत्ति को बेचने

की मांग की जाती है जिसमें नाबालिगों को 1/4 हिस्सा मिला है। उनके शामिल होने के कारण एक से अधिक हैं। यहां तक कि दस्तावेजों के अनुसार, माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 19.11.2015 के आदेश, जिस पर याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा भरोसा किया गया है, के अनुसार, यह स्पष्ट है कि स्वाभाविक पिता श्री राजीव अरोड़ा को मुलाकात का अधिकार दिया गया था। उन्हें पठानकोट में अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने की भी छूट दी गई थी और पक्षकारों को भविष्य की मांग के अनुसार आगे के निर्देश के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी गई थी। याचिकाकर्ताओं जो नाना-नानी और नाबालिग बच्चों के मामा हैं, ने दिनांक **14.05.2018** (अनुलग्नक पी-3) के अपने आवेदन में मामले पर अपना पक्ष रखा है, लेकिन अदालत के लिए नाबालिगों के प्राकृतिक पिता और दादा-दादी का पक्ष जानना बहुत आवश्यक है। इस माननीय न्यायालय द्वारा आदेश (अनुलग्नक पी -2) पारित किए जाने के बाद कोई भी घटना हो सकती है जो धारा 8 के तहत आवेदन पर निर्णय लेने में बहुत प्रासंगिक हो सकती है। याचिकाकर्ताओं और नाबालिग बच्चों के बीच कुछ मुद्दे हो सकते हैं या नाबालिगों का प्राकृतिक पिता या पैतृक दादा-दादी के साथ रहने के लिए कुछ झुकाव हो सकता है। ऐसा कोई भी तथ्य, यदि घटित हुआ है, तो केवल प्राकृतिक पिता या पैतृक दादा-दादी द्वारा ही विद्वान ट्रायल कोर्ट के ध्यान में लाया जा सकता है, जब उन्हें ट्रायल कोर्ट में कार्यवाही में पक्षकार बनाया जाता है।

(पैरा 11)

आगे कहा गया कि, विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा धारा 8 के प्रावधानों के साथ-साथ ऊपर उल्लिखित धारा 29 और 31 पर रखी गई निर्भरता याचिकाकर्ता के मामले को आगे नहीं ले जाती है। वर्तमान मामले में मुद्दा यह है कि क्या विद्वान ट्रायल कोर्ट ने प्राकृतिक पिता

और दादा-दादी को सही ढंग से पक्षकार किया है या नहीं। धारा 8 के तहत आवेदन की अनुमति दी जाएगी या नहीं, यह मुद्दा इस स्तर पर नहीं उठता है। 1956 के अधिनियम की धारा 8 केवल प्राकृतिक अभिभावक की शक्तियों के बारे में बताती है। उक्त धारा किसी भी तरह से किसी मामले में किसी व्यक्ति को एक पक्ष के रूप में जोड़ने के लिए अदालत की शक्ति को प्रतिबंधित नहीं करती है। वास्तव में, धारा 8 उप-धारा 4 में उल्लिखित ट्रायल कोर्ट पर डाला गया कर्तव्य, ट्रायल अदालतों के लिए नाबालिगों की संपत्ति को बेचने की अनुमति देने से पहले सभी प्रासंगिक तथ्यों को इकट्ठा करना और भी आवश्यक बनाता है।

(पैरा 13)

आगे कहा कि, मुझे लगता है कि यह बेहद प्रासंगिक है कि प्राकृतिक पिता और दादा का पक्ष भी विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष है ताकि कोई आदेश पारित न किया जाए जो नाबालिगों के लाभ के लिए नहीं है। यहां तक कि संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890 की धारा 29 का प्रावधान केवल न्यायालय द्वारा नियुक्त या घोषित संपत्ति के संरक्षक की शक्तियों पर सीमाओं से संबंधित है। धारा 31 धारा 29 के तहत स्थानांतरण की अनुमति देने के संबंध में अभ्यास से संबंधित है। उपर्युक्त सभी प्रावधान इस स्थिति से संबंधित हैं कि धारा 8 के तहत याचिका पर कैसे निर्णय लिया जाना है और उक्त आवेदन पर निर्णय लेने में किन प्रासंगिक कारकों पर विचार किया जाना है। उक्त प्रावधान धारा 8 के तहत आवेदन के न्यायसंगत निर्णय के लिए आवश्यक पक्षों को शामिल करने के लिए विद्वान ट्रायल कोर्ट की शक्ति को दूर-दूर तक कम नहीं करते हैं। यहां तक कि अभिभावक और वार्ड अधिनियम, 1890 की धारा 31 (4) के अवलोकन से पता चलता है कि अभिभावक को धारा 29 में उल्लिखित कार्य करने की अनुमति देने से पहले,

अदालत वार्ड के किसी भी रिश्तेदार या दोस्त को अनुमति देने के लिए आवेदन का नोटिस दे सकती है, जिसे उसकी राय में, इसके नोटिस को प्राप्त करें और उक्त आवेदन के विरोध में दिखाई देने वाले किसी भी व्यक्ति के बयान को सुनेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। उपर्युक्त प्रावधानों पर विचार करने के बाद, मेरा सुविचारित मत है कि यहां तक कि उक्त प्रावधान भी, जब सही परिप्रेक्ष्य में पढ़े जाते हैं, इस तथ्य का समर्थन करते हैं कि सभी पक्ष जो नाबालिगों और उनकी संपत्ति से संबंधित तथ्यों की जानकारी रखते है, को धारा 8 के तहत याचिका में कोई आदेश पारित करने से पहले पक्षकार बनाया जाना चाहिए और सुना जाना चाहिए।

(पैरा 14)

आगे कहा गया कि, इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि नाबालिग के हिस्से को बेचने की अनुमति देने से पहले, न्यायालय को सभी पहलुओं पर बहुत सावधानी से विचार करना होगा और यह केवल आवश्यकता के मामले में या नाबालिग के स्पष्ट लाभ के लिए है कि इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। उक्त उद्देश्य के लिए, न्यायालय को वर्तमान मामले में पूरा अधिकार है बल्कि एक कर्तव्य है कि सभी संबंधित पक्षों, प्राकृतिक पिता और दादा-दादी को सुने, ताकि उन सभी तथ्यों को जाना जा सके जो 1956 के अधिनियम की धारा 8 के तहत आवेदन के निर्णय के लिए प्रासंगिक हैं।

(पैरा 15)

पुनीत जिंदल, सीनियर एडवोकेट के साथ
तेजिंदर सिंह, एडवोकेट
याचिकाकर्ताओं के लिए। (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)

विकास बहल, जे।

(1) वर्तमान पुनरीक्षण याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत विद्वान सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/अभिभावक न्यायाधीश, फरीदाबाद के आदेश दिनांक 02.02.2019 (अनुलग्नक पी-5), दिनांक 28.08.2019, 27.09.2019 और 23.11.2020 (अनुलग्नक पी-6, कोली), को रद करने के लिए दायर की गई है जिसमें याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे नाबालिगों के प्राकृतिक पिता और दादा-दादी को याचिका में पक्षकार बनाएं, यह देखते हुए कि उक्त व्यक्ति मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए आवश्यक पक्ष हैं।

(2) याचिकाकर्ताओं द्वारा स्थापित मामले के अनुसार तथ्य जो पुनरीक्षण याचिका में किए गए कथनों और याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा सौंपे गए संक्षिप्त सारांश से स्पष्ट हैं, निम्नानुसार हैं: -

1980 के बाद से	हरीश चंद डावर जीवित थे (मृत्यु 08.12.1982), वह आवासीय प्लॉट नंबर 743, सेक्टर -19, फरीदाबाद के 383.73 वर्ग गज के अनन्य मालिक थे।
09.05.1989 P-4	हरीश चंद की मृत्यु के बाद, मीना डावर (विधवा/याचिकाकर्ता नंबर 1), विक्रम डावर (नाबालिग बेटा/याचिकाकर्ता नंबर 2), प्रीति डावर (नाबालिग बेटी की 22.08.2007 को मृत्यु) और विनीत डावर (नाबालिग बेटा/याचिकाकर्ता नंबर 3) के नाम पर प्राकृतिक उत्तराधिकार में प्लॉट हस्तांतरित किया गया।
29.11.2002	प्रीति डावर ने राजीव अरोड़ा से शादी कर ली।
27.11.2003	कशिश अरोड़ा (बड़ी नाबालिग बेटी) का जन्म
03/01/06	गायत्री अरोड़ा (छोटी नाबालिग बेटी) का जन्म

22.08.2007	पत्नी प्रीति डावर अपने ससुराल राजीव अरोड़ा के घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उस दिन से दोनों नाबालिग याचिकाकर्ताओं की देखभाल और संरक्षण में हैं।
23.08.2007 P-1	पंचायतनामा/समझौता, जिसके तहत यह सहमति हुई कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रीति डावर की मृत्यु के कारण कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी, हालांकि उन्हें नाबालिग बेटियों की स्थायी अभिरक्षा मिलेगी। राजीव अरोड़ा ने दो नाबालिग बेटियों के नाम पर पूरा इस्त्रीधन और 5 लाख रुपये प्रत्येक का एफडीआर वापस करने का वादा किया।
2014-15	राजीव अरोड़ा ने समझौते को चुनौती दी, नाबालिग बेटियों की कस्टडी के संबंध में मुकदमा शुरू हुआ, हालांकि इस माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त को अपने पास स्थानांतरित कर दिया गया।
19.11.2015 P-2	इस माननीय न्यायालय ने नाबालिगों के साथ बातचीत के बाद दोनों नाबालिग बेटियों को परिवार के मातृ पक्ष के साथ रहने का आदेश दिया। उक्त आदेश आज तक लगातार जारी रहा और राजीव अरोड़ा द्वारा दायर आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया।
2007-2020	इस बीच, नाबालिग बड़े हो गए हैं, वर्तमान में क्रमशः 12 वीं कक्षा और 9 वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और उन्हें उच्च शिक्षा व्यय की आवश्यकता है।

14.05.2018	इस बीच, नाबालिगों के मातृ पक्ष द्वारा फरीदाबाद में प्लॉट के संबंध में नाबालिगों के 1/4 हिस्से (25%) को बेचने की अनुमति के लिए अभिभावक न्यायाधीश फरीदाबाद के समक्ष आवेदन दायर किया गया, जो हरीश चंद डावर के स्वामित्व में था। कुल बिक्री मूल्य रु.1,40,00,000/- मार्केट रेट/सर्किल रेट: रु.27,000/- प्रति वर्ग वर्ष। जिसके अनुसार यह राशि 1,03,60,710/- रुपये बनती है, इसलिए, बिक्री अवयस्क के सर्वोत्तम हित में है क्योंकि इसे बाजार मूल्य से अधिक बेचा जा रहा है।

(3) याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता पुनीत जिंदल ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.08.2007 (अनुलग्नक पी-1), इस माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 19.11.2015 को पारित आदेश (अनुलग्नक पी-2), 09.05.1989 के भूखंड आवंटन पत्र (अनुलग्नक पी-4) पर भरोसा किया है और 14.05.2018 के आवेदन का भी हवाला दिया है।

अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 (इसके बाद इसे "1956 का अधिनियम" कहा जाता है)। उक्त आवेदन के कथनों पर प्रकाश डाला गया है और यह कहा गया है कि प्रीति डावर की मृत्यु के बाद, प्रीति का हिस्सा बेबी कशिश अरोड़ा और बेबी गायत्री अरोड़ा के नाम पर स्थानांतरित कर दिया गया था और याचिकाकर्ताओं को पैसे की बहुत जरूरत है और इसलिए वे संपत्ति बेचने का इरादा रखते हैं। विद्वान वरिष्ठ वकील ने 1956 के अधिनियम की धारा 8 के प्रावधान पर भरोसा किया है, जो निम्नानुसार है: -

8. प्राकृतिक संरक्षक की शक्तियां

(1) एक हिंदू नाबालिग के प्राकृतिक अभिभावक के पास इस धारा के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उन सभी कृत्यों को करने की शक्ति है जो नाबालिग के लाभ के लिए या नाबालिग की संपत्ति की प्राप्ति, सुरक्षा या लाभ के लिए आवश्यक या उचित और उपयुक्त हैं; लेकिन अभिभावक किसी भी मामले में नाबालिग को व्यक्तिगत अनुबंध से नहीं बांध सकता है।

(2) प्राकृतिक अभिभावक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना ऐसा नहीं करेगा,

(क) नाबालिग की अचल संपत्ति के किसी भी हिस्से को बंधक या प्रभार, या बिक्री, उपहार, विनिमय या अन्यथा द्वारा हस्तांतरण; या

(ख) ऐसी संपत्ति के किसी भी हिस्से को पांच साल से अधिक की अवधि के लिए या नाबालिग के वयस्क होने की तारीख से एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पट्टे पर दें।

(3) उपधारा (1) या उप-धारा (2) के उल्लंघन में प्राकृतिक अभिभावक द्वारा अचल संपत्ति का कोई भी निपटान, नाबालिग के कहने पर या उसके अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा अमान्य माना जाता है।

(4) कोई भी अदालत प्रकार्तिक अभिभावक को उप-धारा (2) मे उलेखित आवश्यकता के मामले या नाबालिक के लाभ के अतिरिक्त किसी भी कार्य लो करने की अनुमति नहीं देगी ।

(2) आवश्यकता के मामले को छोड़कर या नाबालिग को स्पष्ट लाभ के लिए।

(5) संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890 (1890 का 8), उपधारा (2) के अधीन न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने के लिए किसी आवेदन पर और उसके संबंध में सभी प्रकार से इस प्रकार लागू होगा जैसे कि वह उस अधिनियम की धारा 29 के अधीन न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने के लिए एक आवेदन था, और विशेष रूप से-

(a) आवेदन के संबंध में कार्यवाही को उस अधिनियम की धारा 4 ए के अर्थ के अंतर्गत कार्यवाही माना जाएगा;

(b) न्यायालय प्रक्रिया का पालन करेगा और उस अधिनियम की धारा 31 की उप-धाराओं (2), (3) और (4) में निर्दिष्ट शक्तियां प्राप्त करेगा; और

(c) अपील अदालत के उस आदेश से की जाएगी जिसमें प्राकृतिक अभिभावक को इस धारा की उपधारा (2) में उल्लिखित किसी भी अधिनियम को उस न्यायालय में करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया है, जिसके लिए अपील आमतौर पर उस अदालत के निर्णयों से होती है।

(6) इस धारा में, "न्यायालय" से शहर का सिविल न्यायालय या जिला न्यायालय या संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890 (1890 का 8) की धारा 4 ए के तहत अधिकार प्राप्त अदालत अभिप्रेत है, जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर अचल संपत्ति जिसके संबंध में आवेदन किया गया है, स्थित है, और जहां अचल संपत्ति एक से अधिक ऐसे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित है, इसका अर्थ है स्थानीय सीमाओं के भीतर वह अदालत जिसके अधिकार क्षेत्र में संपत्ति का कोई भी हिस्सा स्थित है।

(4) निर्भरता अभिभावक और वार्ड अधिनियम, 1890 की धारा 29 और 31 पर भी रखा गया है। उक्त प्रावधानों को नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

> **"29. न्यायालय द्वारा नियुक्त या घोषित संपत्ति के संरक्षक की शक्तियों की सीमा:- जहां कलेक्टर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति, या** वसीयत या अन्य साधन द्वारा नियुक्त अभिभावक के अलावा, को अदालत द्वारा किसी वार्ड की संपत्ति का संरक्षक नियुक्त या घोषित किया गया है, तो वह न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना नहीं करेगा, -
>
> (a) बंधक या प्रभार, या बिक्री, उपहार, विनिमय या अन्यथा द्वारा हस्तांतरण, उसके वार्ड की अचल संपत्ति का कोई हिस्सा, या
>
> (b) उस संपत्ति के किसी भी हिस्से को पांच साल से अधिक की अवधि के लिए या उस तारीख से एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पट्टे पर दें, जिस तारीख को वार्ड नाबालिग नहीं होगा।
>
> **31. धारा 29 के तहत स्थानान्तरण की अनुमति देने के संबंध में अभ्यास**
>
> (1) धारा 29 में उल्लिखित किसी भी कार्य को करने के लिए अभिभावक को आवश्यकता के मामले में या वार्ड को स्पष्ट लाभ के अलावा न्यायालय द्वारा अनुमति नहीं दी जाएगी।
>
> (2) अनुमति प्रदान करने वाले आदेश में आवश्यकता या लाभ का वर्णित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, उस

संपत्ति का वर्णन किया जाएगा जिसके संबंध में अनुमत कार्य किया जाना है, और ऐसी शर्तों को निर्दिष्ट करेगा, यदि कोई हो, जिसे अदालत अनुमति के साथ संलग्न करने के लिए उपयुक्त समझे; और इसे न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा अपने हाथ से दर्ज, दिनांकित और हस्ताक्षरित किया जाएगा, या जब किसी भी कारण से उसे अपने हाथ से आदेश को रिकॉर्ड करने से रोका जाता है, तो उसे उसके आदेश से लिखित रूप में लिखवाया जाएगा और उसके द्वारा दिनांकित और हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(3) न्यायालय अपने विवेकाधिकार में अन्य शर्तों के साथ-साथ निम्नलिखित अनुमति संलग्न कर सकता है, अर्थात्:-

(a) कि अदालत की मंजूरी के बिना बिक्री पूरी नहीं की जाएगी;

(b) कि उच्च न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम के अध्यधीन, न्यायालय के समक्ष सार्वजनिक नीलामी द्वारा उच्चतम बोलीदाता या उस प्रयोजन के लिए न्यायालय द्वारा विशेष रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट समय और स्थान पर, इच्छित बिक्री की ऐसी घोषणा के बाद बिक्री की जाएगी। निर्देश;

(c) यह कि लीज प्रीमियम पर विचार करते हुए नहीं दी जाएगी या वर्षों की ऐसी अवधि के लिए बनाई जाएगी और ऐसे किराए और अनुबंधों के अधीन होगी जैसा कि न्यायालय निर्देश देता है;

(d) यह कि अनुमत अधिनियम की आय का पूरा या कोई हिस्सा अभिभावक द्वारा न्यायालय को भुगतान किया जाएगा, उससे वितरित किया जाएगा या न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रतिभूतियों पर निवेश किया जाएगा या अन्यथा न्यायालय के निर्देश के अनुसार निपटाया जाएगा।

(4) धारा 29 में उल्लिखित कार्य करने के लिए अभिभावक को अनुमति देने से पहले, अदालत वार्ड के किसी भी रिश्तेदार या दोस्त को अनुमति देने के लिए आवेदन का नोटिस दे सकती है, जिसे उसकी राय में, नोटिस प्राप्त करना चाहिए, और आवेदन के विरोध में दिखाई देने वाले किसी भी व्यक्ति के बयान को सुनना और रिकॉर्ड करना चाहिए।

(5) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान पुनरीक्षण याचिका के साथ संलग्न आदेशों की प्रमाणित प्रतियां भी ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई थीं। यह विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क है कि न तो प्राकृतिक पिता और न ही दादा-दादी वर्तमान मामले में आवश्यक पक्ष हैं और यह सवाल कि क्या कोई विशेष पक्ष आवश्यक है या नहीं, 1956 के अधिनियम और संरक्षक और वार्ड अधिनियम 1890 के प्रावधानों जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है के प्रकाश में देखा जाना चाहिए। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि नाबालिगों के पिता और दादा-दादी को आरोपित करने वाला आदेश पूरी तरह से अवैध और कानून के खिलाफ है और इसके परिणामस्वरूप निचली विद्वान न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में देरी होगी।

(6) मैंने याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ वकील को सुना है और उठाए गए तर्कों पर अपना विचारशील विचार किया है और मैंने पुनरीक्षण याचिका का भी अवलोकन किया है और मेरा विचार है कि

जो आक्षेपित आदेश पारित किए गए हैं, वे कानून के अनुसार हैं और इसे चुनौती देने वाली पुनरीक्षण याचिका खारिज किए जाने के योग्य है।

(7) यह ध्यान रखना उचित होगा कि पहला आक्षेपित आदेश 02.02.2019 को पारित किया गया है, बाद के आदेश 28.08.2019, 27.09.2019 और 23.11.2020 को पारित किए गए थे। बाद के आदेशों के अवलोकन से पता चलता है कि इसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दिनांक 02.02.2019 के आदेश का कोई अनुपालन नहीं किया गया है।

(8) वर्तमान पुनरीक्षण याचिका का मसौदा 07.04.2021 को तैयार किया गया है और आज यानी 05.07.2021 को सुनवाई के लिए आया है। कार्यवाही में देरी, यदि कोई हो, के लिए याचिकाकर्ताओं को स्वयं दोषी ठहराया जाना चाहिए। यदि याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 02.02.2019 के उक्त आदेश का अनुपालन किया होता, तो पूरी संभावना है कि 1956 के अधिनियम की धारा 8 (अनुलग्नक पी -3) के तहत आवेदन पर विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्णय लिया गया होता। वर्ष 2021 में इस वर्तमान पुनरीक्षण याचिका के दायर होने तक न तो उक्त आदेशों का पालन किया गया और न ही उन्हें चुनौती दी गई।

(9) आवेदन (अनुलग्नक पी-3) के साथ-साथ आक्षेपित आदेशों के अवलोकन से पता चलेगा कि वर्तमान मामला आम जनता के खिलाफ दायर किया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि ऐसे मामले में, आम जनता में से कोई भी व्यक्ति सामने आ सकता है और बचाव कर सकता है और याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन का विरोध कर सकता है।

'*डोमिनस लिटस*' का सिद्धांत वहां लागू नहीं होता है जहां उत्तरदाता को आम जनता कहा जाता है। इसके अलावा, पारित आदेश सी.पी.सी.के आदेश 1 नियम 10 (2) के प्रावधानों के अनुसार हैं। सी.पी.सी.के आदेश 1 नियम 10 (2) को नीचे प्रस्तुत किया गया है: -

> "**<u>सी.पी.सी.के आदेश 1 नियम 10 (2) -</u>**
>
> **आदेश 1 नियम 10 (2)। अदालत पार्टियों को बाहर कर सकती है या जोड़ सकती है।**
>
> - न्यायालय कार्यवाही के किसी भी चरण में, या तो किसी भी पक्ष के आवेदन पर या उसके बिना, और ऐसी शर्तों पर जो न्यायालय को उचित प्रतीत हो, आदेश दे सकता है कि अनुचित रूप से शामिल किए गए किसी भी पक्ष का नाम, चाहे वादी या प्रतिवादी के रूप में, हटा दिया जाए, और किसी भी व्यक्ति का नाम जिसे शामिल किया जाना चाहिए था, चाहे वादी या प्रतिवादी के रूप में, या अदालत के समक्ष जिनकी उपस्थिति आवश्यक हो सकती है ताकि अदालत प्रभावी रूप से और पूरी तरह से मुकदमे में शामिल सभी सवालों पर निर्णय लेने और निपटाने में सक्षम हो सके।

(10) उक्त प्रावधान के अवलोकन से पता चलेगा कि न्यायालय कार्यवाही के किसी भी चरण में, यहां तक कि किसी भी पक्ष के आवेदन के बिना आदेश दे सकता है कि किसी भी पक्ष का नाम, जिसे वादी या प्रतिवादी के रूप में शामिल होना चाहिए था या जिसकी अदालत के समक्ष उपस्थिति आवश्यक हो सकती है ताकि अदालत को मुकदमे में शामिल सभी सवालों पर प्रभावी और पूरी तरह से निर्णय लेने और निपटाने में सक्षम बनाया जा सके। जोड़ा जाए. इस प्रकार, न्यायालय के पास उक्त पक्षों में से किसी से भी किए गए किसी भी

आवेदन के बिना किसी भी पक्ष को जोड़ने की शक्ति है, यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जोड़े जाने वाले पक्ष मामले पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक हैं।

(11) वर्तमान मामले में, इस न्यायालय को लगता है कि नाबालिगों के पिता और दादा-दादी 1956 के अधिनियम की धारा 8 के तहत याचिका के उचित निर्णय के लिए आवश्यक पक्ष हैं, जहां उस संपत्ति को बेचने की मांग की जाती है जिसमें नाबालिगों को 1/4 हिस्सा मिला है। उनके शामिल होने के कारण एक से अधिक हैं। यहां तक कि दस्तावेजों के अनुसार, माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 19.11.2015 के आदेश, जिस पर याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा भरोसा किया गया है, के अनुसार, यह स्पष्ट है कि स्वाभाविक पिता श्री राजीव अरोड़ा को मुलाकात का अधिकार दिया गया था। उन्हें पठानकोट में अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने की भी छूट दी गई थी और पक्षकारों को भविष्य की मांग के अनुसार आगे के निर्देश के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी गई थी। याचिकाकर्ताओं जो नाना-नानी और नाबालिग बच्चों के मामा हैं, ने दिनांक 14.05.2018 (अनुलग्नक पी-3) के अपने आवेदन में मामले का अपना पक्ष रखा है, लेकिन अदालत के लिए नाबालिगों के प्राकृतिक पिता और दादा-दादी का पक्ष जानना बहुत आवश्यक है। इस माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए जाने के बाद कोई भी घटना हो सकती है (अनुलग्नक पी -2) जो धारा 8 के तहत आवेदन पर निर्णय लेने में बहुत प्रासंगिक हो सकती है। याचिकाकर्ताओं और नाबालिग बच्चों के बीच कुछ मुद्दे हो सकते हैं या नाबालिगों का प्राकृतिक पिता या पैतृक दादा-दादी के साथ रहने के लिए कुछ झुकाव हो सकता है। ऐसा कोई भी तथ्य, यदि घटित हुआ है, तो केवल प्राकृतिक पिता या पैतृक दादा-

दादी द्वारा विद्वान ट्रायल कोर्ट के ध्यान में लाया जा सकता है, जब उन्हें ट्रायल कोर्ट में कार्यवाही में पक्षकार बनाया जाता है।

(12) संबंधित जवाब दाखिल होने के बाद जो तथ्य सामने आएंगे, वे ट्रायल कोर्ट को 1956 के अधिनियम की धारा 8 के तहत याचिका को ठीक से और अंतिम रूप से निर्णय लेने में बहुत मदद करेंगे।

(13) धारा 8 के प्रावधानों के साथ-साथ ऊपर उल्लिखित धारा 29 और 31 पर विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा रखी गई रिलायंस याचिकाकर्ता के मामले को आगे नहीं ले जाती है। वर्तमान मामले में मुद्दा यह है कि क्या विद्वान ट्रायल कोर्ट ने प्राकृतिक पिता और दादा-दादी को सही ढंग से आरोपित किया है या नहीं। धारा 8 के तहत आवेदन की अनुमति दी जाएगी या नहीं, यह मुद्दा इस स्तर पर नहीं उठता है। 1956 के अधिनियम की धारा 8 केवल प्राकृतिक अभिभावक की शक्तियों के बारे में बताती है। उक्त धारा किसी भी तरह से किसी मामले में किसी व्यक्ति को एक पक्ष के रूप में जोड़ने के लिए अदालत की शक्ति को प्रतिबंधित नहीं करती है। वास्तव में, धारा 8 उप-धारा 4 में उल्लिखित ट्रायल कोर्ट पर डाला गया कर्तव्य, ट्रायल अदालतों के लिए नाबालिगों की संपत्ति को बेचने की अनुमति देने से पहले सभी प्रासंगिक तथ्यों को इकट्ठा करना और भी आवश्यक बनाता है।

(14) मुझे लगता है कि यह अत्यंत प्रासंगिक है कि स्वाभाविक पिता और दादा का पक्ष भी विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष है ताकि कोई आदेश पारित न किया जाए जो नाबालिगों के लाभ के लिए नहीं है। यहां तक कि संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890 की धारा 29 का प्रावधान केवल न्यायालय द्वारा नियुक्त या घोषित संपत्ति के संरक्षक की शक्तियों पर सीमाओं से संबंधित है। धारा 31 धारा 29 के तहत

हस्तांतरण की अनुमति देने के संबंध में अभ्यास से संबंधित है। उपर्युक्त सभी प्रावधान इस स्थिति से संबंधित हैं कि धारा 8 के तहत याचिका पर कैसे निर्णय लिया जाना है और उक्त आवेदन पर निर्णय लेने में किन प्रासंगिक कारकों पर विचार किया जाना है। उक्त प्रावधान धारा 8 के तहत आवेदन के न्यायसंगत निर्णय के लिए आवश्यक पक्षों को शामिल करने के लिए विद्वान ट्रायल कोर्ट की शक्ति को दूर-दूर तक कम नहीं करते हैं। यहां तक कि अभिभावक और वार्ड अधिनियम, 1890 की धारा 31 (4) के अवलोकन से पता चलता है कि अभिभावक को धारा 29 में उल्लिखित कार्य करने की अनुमति देने से पहले, अदालत वार्ड के किसी भी रिश्तेदार या दोस्त को अनुमति देने के लिए आवेदन का नोटिस दे सकती है, जिसे उसकी राय में, इसके नोटिस को प्राप्त करें और उक्त आवेदन के विरोध में दिखाई देने वाले किसी भी व्यक्ति के बयान को सुनेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। उपर्युक्त प्रावधानों पर विचार करने के बाद, मेरा सुविचारित मत है कि यहां तक कि उक्त प्रावधान भी, जब सही परिप्रेक्ष्य में पढ़े जाते हैं, इस तथ्य का समर्थन करते हैं कि सभी पक्ष जो नाबालिगों और उनकी संपत्ति से संबंधित तथ्यों की जानकारी रखते हैं, को धारा 8 के तहत याचिका में कोई आदेश पारित करने से पहले पक्षकार बनाया जाना चाहिए और सुना जाना चाहिए।

(15) इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि नाबालिग के हिस्से को बेचने की अनुमति देने से पहले, न्यायालय को सभी पहलुओं पर बहुत सावधानी से विचार करना होगा और यह केवल आवश्यकता के मामले में या नाबालिग के स्पष्ट लाभ के लिए है कि इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। उक्त उद्देश्य के लिए, न्यायालय को वर्तमान मामले में सभी संबंधित पक्षों, प्राकृतिक पिता और दादा-दादी को सुनने का पूरा अधिकार है, ताकि उन सभी तथ्यों को जाना जाए जो 1956 के

अधिनियम की धारा 8 के तहत आवेदन के निर्णय के लिए प्रासंगिक हैं।

(16) वरिष्ठ वकील ने यह भी प्रस्तुत किया है कि कशिश अरोड़ा (बड़ी नाबालिग बेटी) जिसका जन्म 27.11.2003 को हुआ था, 28.11.2021 को बालिग होने जा रही है। यहां तक कि उक्त तथ्य भी याचिकाकर्ताओं की मदद नहीं करेगा क्योंकि एक बार जब उक्त लड़की वयस्क हो जाएगी, तो यह वह होगी जिसे संपत्ति में अपने हिस्से का निपटान करने का अधिकार होगा, जिस तरह से वह चाहती है।

(17) उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की राय है कि आक्षेपित आदेश को बरकरार रखा जाना चाहिए और वर्तमान संशोधन याचिका खारिज किए जाने के योग्य है। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी को 1956 के अधिनियम की धारा 8 के तहत याचिका के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, जिस याचिका पर कानून के अनुसार स्वतंत्र रूप से निर्णय लिया जाएगा और वर्तमान आदेश में की गई टिप्पणियां केवल इस बात पर विचार करने के उद्देश्य से हैं कि क्या नाबालिगों के प्राकृतिक पिता और दादा-दादी को सही तरीके से आरोपित किया गया है या नहीं।

(18) उपरोक्त अवलोकन को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका खारिज की जाती है।

(19) उपर्युक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए सभी लंबित विविध आवेदनों, यदि कोई हों, का निपटान किया जाता है।

त्रिभुवन दहिया

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देशय के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है | सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

रोहतास
(अनुवादक)